

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024—श्रावण 18, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीमा यल्मो (Nima Yolmo) पत्नी स्व. श्री मुलायम यल्मो, निवासी – 63, गीतांजलि पार्क, ईदगाह हिल्स, तह. हुजूर, जिला भोपाल, (म.प्र.). मेरी पुत्री वैश्नवी यल्मो (VAISHNAVI YOLMO) के शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम मनजीत यल्मो (MANJEET YOLMO) अंकित है जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है। मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम वैश्नवी यल्मो (VAISHNAVI YOLMO) पुत्री स्व. श्री मुलायम यल्मो (Mulayam Yolmo) है।

प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को वैश्नवी यल्मो (VAISHNAVI YOLMO) के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाये।

आवेदिका

संरक्षक माता (नीमा यल्मो)

(Nima Yolmo)

पत्नी — स्व. श्री मुलायम यल्मो

निवासी :— 63, गीतांजलि पार्क, ईदगाह हिल्स,
तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1630)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वैशाली चौधरी (Vaishali Choudhary) पुत्री स्व. श्री प्रकाश चौधरी, निवासी – म.नं. जी 9/10, के पीछे, झुग्गी साउथ टी.टी. नगर, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय

दस्तावेजों में मेरा नाम मानसी चौधरी (Mansi Choudhary) अंकित है किंतु अब, मैं, अपना नाम परिवर्तित करके वैशाली चौधरी (Vaishali Choudhary) पुत्री स्व. श्री प्रकाश चौधरी करना चाहती हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे अपने परिवर्तित नाम वैशाली चौधरी (Vaishali Choudhary) पुत्री स्व. श्री प्रकाश चौधरी के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम (मानसी चौधरी) (Mansi Choudhary) (G-1631)	नया नाम (वैशाली चौधरी) (Vaishali Choudhary) पुत्री स्व. श्री प्रकाश चौधरी
---	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज अग्रवाल मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम लौकिक अग्रवाल (Loukik Agrawal) त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. चूंकि उसका सही नाम लव्यांश अग्रवाल (Lavyansh Agrawal) है. जो कि सही एवं सत्य है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में उसके सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लव्यांश अग्रवाल (Lavyansh Agrawal) लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी (मनोज अग्रवाल) पता — म.नं. 51, कच्ची सराय, चांदबड़, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). (G-1632)
--

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my Name's correct spelling is BABULAL SHARDA but in some of my documents (share certificate) my Name's spelling is written as BABOOLAL SHARDA. Henceforth I shall be spelled BABULAL SHARDA for all purposes.

Old Name (BABOOLAL SHARDA) (G-1633)	New Name (BABULAL SHARDA) Add.-86, Sharda Sadan, Gillispie Road, Hari Phatak, Mhow, Indore (M.P.)
---	--

CHANGE OF NAME

I, Ajay Hirwani hereby declare in behalf of my daughter that, I have changed my daughter Name from Yachika Hirwani to Saavi Hirwani. Henceforth in all of Govt. and Non Govt. documents my daughters new Name will written and read Saavi Hirwani.

Applicant (Saavi Hirwani) D/o. Ajay Hirwani-Father (G-1634)	Add :- 33, Bairathi Colony, No.-2, Indore (M.P.)
--	--

CHANGE OF NAME

It is to be informed to the general public that I, MOHAMMED SAHIL USMANI'S, Education certificate has MOHD SAHIL USMANI written in it whereas the correct name is MOHAMMED SAHIL USMANI. Both the names belong to the me which should be read and written from now onwards.

Old Name	New Name
(MOHD SAHIL USMANI)	(MOHAMMED SAHIL USMANI)
(G-1635)	S/o. MOHAMMED FAIYAZ USMANI.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रुस्तमजी नोशेरवानजी एण्ड संस जिसका मूल भागीदारी विलेख दिनांक 18-02-1957 को निष्पादित किया गया था, जिसका पता-74, श्रद्धानंद मार्ग, कलाली मोहल्ला, छावनी, इंदौर था, जिसका पंजीयन क्रमांक 37651957, दिनांक 27 मार्च 1958 जो पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार श्री आर.एन. भाया पिता स्व. श्री नोशेरवानजी एवं श्री जे.एन. भाया पिता स्व. श्री नोशेरवानजी थे। तत्पश्चात् दिनांक 1-4-1992 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार फर्म में शब्दोशरण परिहार पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया, श्री पृथ्वीसिंह परिहार पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया, श्री विजय भाया पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया एवं श्री कुबेरसिंह परिहार पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया को भागीदार के रूप में जोड़ा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 1 अप्रैल 1995 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार श्री आर.एन. भाया पिता स्व. श्री नोशेरवानजी एवं श्री जे.एन. भाया पिता स्व. श्री नोशेरवानजी फर्म से निवृत हो गए थे। दिनांक 1 अप्रैल 2002 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार श्री मनीष परिहार पिता श्री शब्दोशरण परिहार एवं श्री राहुल परिहार पिता श्री पृथ्वीसिंह परिहार को भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया था तथा इसी विलेख में आयकर कानून में हुए संशोधन की वजह से कुछ संशोधन प्रावधान शामिल किये गए थे। तत्पश्चात् 2 अप्रैल 2005 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार राहुल परिहार पिता श्री पृथ्वीसिंह परिहार को पारिश्रमिक न देने का संशोधन किया गया था। बाद में दिनांक 1 अप्रैल 2009 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार आयकर कानून में हुए संशोधनों की वजह से पुनः कुछ संशोधन प्रावधान शामिल किये गए थे। तत्पश्चात् दिनांक 6 सितम्बर 2011 को श्री शब्दोशरण परिहार का निधान होने से भागीदारी संशोधन लेख निष्पादित किया गया था। बाद में दिनांक 1 अप्रैल 2013 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार राहुल परिहार पिता श्री पृथ्वीसिंह परिहार फर्म से निवृत हो गए थे। तत्पश्चात् दिनांक 04 जून 2021 को निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार पृथ्वीसिंह परिहार पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया का निधन हो जाने से उनकी वसीयत अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम परिहार तथा श्री मनीष परिहार पिता श्री शब्दोशरण परिहार का निधन हो जाने से उनकी वसीयत अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती सौम्या परिहार को नए भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 21 अगस्त 2021 को श्री कुबेरसिंह परिहार पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया का निधन हो जाने से उनकी वसीयत अनुसार उनके पुत्र उत्कर्ष सिंह परिहार को भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया था। उपरोक्तानुसार अंतिम निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख दिनांक 21 अगस्त 2021 निष्पादित भागीदारी संशोधन लेख के अनुसार वर्तमान में श्री विजय भाया पिता स्व. श्री जमशेदजी एन. भाया, श्रीमती कुसुम परिहार पत्नी श्री पृथ्वीसिंह परिहार, श्रीमती सौम्या परिहार पत्नी श्री मनीष परिहार एवं श्री उत्कर्ष सिंह परिहार पिता स्व. श्री कुबेरसिंह परिहार इस फर्म के भागीदार हैं। उपरोक्त फर्म दिनांक 18 फरवरी 1957 से आज तक भागीदारी फर्म के स्वरूप में कार्य करते हुए लगातार अस्तित्व में हैं एवं उपरोक्त फर्म का पता आज भी 74, श्रद्धानंद मार्ग, कलाली मोहल्ला, छावनी, इंदौर ही है।

तर्फ

मेसर्स रुस्तमजी नोशेरवानजी एण्ड संस

1. श्री विजय भाया
 2. श्रीमती कुसुम परिहार
 3. श्रीमती सौम्या परिहार
 4. उत्कर्ष सिंह परिहार
- (भागीदार)।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम रमा अष्टबंधु पत्नी श्री दौलतराम अष्टबंधु था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर हेमिन बाई पत्नी दौलतराम साहू कर लिया है। मैं अपने पुराने नाम रमा अष्टबंधु का त्याग करती हूँ तथा वर्तमान में मुझे सभी व्यक्ति हेमिन बाई के नाम से जानते हैं। मेरा नाम हेमिन बाई शासकीय दस्तावेजों, मार्कशीट, भेल रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में लिखा व पढ़ा जावे, अब हर मौके पर हर विवरण में मुझे नये नाम/कुल नाम हेमिन बाई से ही सम्बोधित करें।

पुराना नाम
(रमा अष्टबंधु)
पत्नी—श्री दौलतराम अष्टबंधु
(G-1637)

नया नाम
(हेमिन बाई)
पत्नी—दौलतराम साहू

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सारिका बाई गुलाबराय पिंजानी था एवं मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम सारिका बाई गुलाबराय सचदेव अंकित है जो कि गलत है। जो अब बदलकर सारिका पिंजानी (Sarika Pinjani) पति श्री राकेश कुमार पिंजानी (Rakesh Kumar Pinjani) हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना – पहचाना व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(सारिका बाई गुलाबराय पिंजानी)
(Sarika Bai Gulabrai Pinjani)
(सारिकाबाई गुलाबराय सचदेव)
(Sarika Bai Gulabrai Sachdev)
(G-1638)

नया नाम
(सारिका पिंजानी)
(Sarika Pinjani)
पति—राकेश कुमार पिंजानी
W/o. Rakesh Kumar Pinjani.

नाम परिवर्तन

मैं, कात्यायनी द्विवेदी पुत्री श्री अवधेश द्विवेदी, निवासी – सी-15, सी-सेक्टर, शाहपुरा, बंसल अस्पताल के पास, भोपाल। पूर्व में मेरा नाम कात्यायनी द्विवेदी पुत्री श्री अवधेश द्विवेदी था, जो मेरे जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मुझे परिवर्तित नाम आहन पुत्र श्री अवधेश द्विवेदी माता नमिता द्विवेदी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(कात्यायनी द्विवेदी)
(आहन पुत्र श्री अवधेश द्विवेदी).
(G-1639)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम दौलतराम अष्टबंधु आत्मज श्री श्याम लाल साहू था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर दौलतराम साहू आत्मज श्री श्याम लाल साहू कर लिया है। मैं अपने पुराने नाम दौलतराम अष्टबंधु का त्याग करता हूँ तथा वर्तमान में मुझे सभी व्यक्ति दौलतराम साहू के नाम से जानते हैं। मेरा नाम दौलतराम साहू

शासकीय दस्तावेजों मार्कशीट, भेल रिकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में लिखा व पढ़ा जावे, अब हर मौके पर हर विवरण में मुझे नये नाम, कुल नाम दौलतराम साहू से ही सम्बोधित करें।

पुराना नाम	नया नाम
(दौलतराम अष्टबंधु)	(दौलतराम साहू) आत्मज—श्री श्याम लाल साहू.

(G-1640)

उपनाम परिवर्तन

मैं, फारुख खान पुत्र श्री रहमतुल्ला खान, निवासी – वार्ड नं. 6, गांधी मार्ग, अंजड़, राजस्व क्षेत्र, तहसील—अंजड़, बड़वानी, मध्यप्रदेश। एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय पहचान—पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम फारुख खान है। कई दस्तावेजों में मेरा नाम फारुख तिगाले है। फारुख तिगाले और फारुख खान नाम एक ही व्यक्ति के हैं, प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में फारुख खान के स्थान पर फारुख तिगाले लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(फारुख खान)	(फारुख तिगाले).

(G-1641)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सलमा खान पति श्री फारुख खान, निवासी – वार्ड नं. 6, गांधी मार्ग, अंजड़, राजस्व क्षेत्र, तहसील—अंजड़, बड़वानी, मध्यप्रदेश। एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय/अशासकीय पहचान—पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम सलमा खान है। कई दस्तावेजों में मेरा नाम सलमा तिगाले है। सलमा तिगाले और सलमा खान नाम एक ही व्यक्ति के हैं, प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में सलमा खान के स्थान पर सलमा तिगाले लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(सलमा खान)	(सलमा तिगाले).

(G-1642)

उपनाम परिवर्तन

मैं, आमना खान पति श्री अच्यूत खान, निवासी – वार्ड नं. 6, गांधी मार्ग, अंजड़, राजस्व क्षेत्र, तहसील—अंजड़, बड़वानी, मध्यप्रदेश। एतदद्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय/अशासकीय पहचान—पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम आमना खान है। कई दस्तावेजों में मेरा नाम आमना तिगाले है। आमना तिगाले और आमना खान नाम एक ही व्यक्ति के हैं, प्रकाशन उपरांत शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में आमना खान के स्थान पर आमना तिगाले लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(आमना खान)	(आमना तिगाले).

(G-1643)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अय्यूब खान पुत्र श्री रहमतुल्ला खान, निवासी – वार्ड नं. 6, गांधी मार्ग, अंजड़, राजस्व क्षेत्र, तहसील–अंजड़, बड़वानी, मध्यप्रदेश. एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय/अशासकीय, पहचान–पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम अय्यूब खान है. कई दस्तावेजों में मेरा नाम अय्यूब तिगाले है. अय्यूब तिगाले और अय्यूब खान नाम एक ही व्यक्ति के हैं, प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में अय्यूब खान के स्थान पर अय्यूब तिगाले लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अय्यूब खान)
(G-1644)

नया नाम
(अय्यूब तिगाले).

CHANGE OF NAME

I, Prakash Deval, resident of village Rama Distt. Jhabua, my father and mother name has been mention as SAV SINGH DEVAL and JAVRI DEVAL by mistake in my mark-sheet document whereas correct name is SAVSINGH and JAVRI hence in future he and she should be known and recognized by SAVSINGH and JAVRI.

Faithfull
(G-1645) (PRAKASH DEVAL).

नाम परिवर्तन

मैं, नंदकुंवर देवी दरक, आधार कार्ड तथा पेन कार्ड, मैं मेरा नाम (NANDKUWAR DEVI DARAK) है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में (NANDKUN WAR DURAG) मेरा नाम त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है. प्रकाशन उपरांत (NANDKUWAR DEVI DARAK) लिखा एवं जाना—पहचाना जावे.

प्रार्थी
(नंदकुंवर दरक).
(G-1646)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा कन्हैया दरक के आधार कार्ड तथा पेन कार्ड में मेरा नाम (KRISHNA KANHAIYADARAK) है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में (KRISHNA KANHAYA DURAG) मेरा नाम त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है. प्रकाशन उपरांत (KRISHNA KANHAIYA DARAK) लिखा एवं जाना—पहचाना जावे

प्रार्थी
(कन्हैया दरक).
(G-1647)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डी.पी. पचौरी पुत्र-स्व. श्री नारायण प्रसाद पचौरी, निवासी – म.नं. डी-564, केन्द्रीय विद्यालय 3 के पास दानिश नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लाइसेंस आदि में मेरा नाम D.P. PACHOURI अंकित है. किन्तु मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम Dharmender Prasad Pachori अंकित है. यह कि उक्त दोनों ही नाम मेरे ही हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे डी.पी. पचौरी (D.P. PACHOURI) पुत्र-स्व. श्री नारायण प्रसाद पचौरी, सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(Dharmender Prasad Pachori)

(G-1648)

नया नाम

(डी.पी. पचौरी)

(D.P. PACHOURI)

पुत्र-स्व. श्री नारायण प्रसाद पचौरी.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती आरती नाथानी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम भावना लालवानी पुत्री—श्री हरिश लालवानी (BHAWNA LALWANI D/o SHRI HARISH LALWANI) था. मेरा विवाह श्री भरत नाथानी आत्मज श्री दिलीप कुमार नाथानी के साथ हो गया है. शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती आरती नाथानी पत्नी श्री भरत नाथानी (SMT. ARTI NATHANI W/o SHRI BHARAT NATHANI) हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जानी—पहचानी जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम

(भावना लालवानी)

नया नाम

(श्रीमती आरती नाथानी)

निवासी—बी न्यू-59, आरामशीन रोड,

संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), जिला भोपाल, (म.प्र.).

(G-1649)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्ञान सिंह जाटव, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम गायत्री जाटव (GAYATRI JATAV) पुत्री ज्ञान सिंह जाटव (GYAN SINGH JATAV) इन्द्राज है, जो कि सत्य एवं सही है, लेकिन मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम प्रिया (PRIYA) पुत्री ज्ञान सिंह (GYAN SINGH) है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय आदि दस्तावेजों/आधार कार्ड में उसका सही नाम गायत्री जाटव (GAYATRI JATAV) पुत्री ज्ञान सिंह जाटव (GYAN SINGH JATAV) अंकित किया जाये.

प्राथी

(ज्ञान सिंह जाटव)

आत्मज—श्री रामप्रसाद जाटव

निवासी – म.नं. – 872, राम नगर कॉलोनी,

दोराहा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.

(G-1650)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम सत्येन्द्र नंदी (Satyendra Nandi) था, को परिवर्तित कर मेरा नया नाम सत्येन्द्र गांगुली (Satyendra Ganguly) हो गया है। मैं, भविष्य में सत्येन्द्र गांगुली (Satyendra Ganguly) के नाम से जाना और पहचाना जाऊँगा।

आवेदक
(Satyendra Nandi)

Old Name
(Satyendra Nandi)

(G-1651)

New Name
(Satyendra Ganguly)
Add.-Daisy Raw, N-3, Spring Valley,
Baghmugalia, Katara Hills, Bhopal.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गुरविन्दर कौर बिमराह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी – मकान नं. 29, हमीदिया रोड, इब्राहिम गंज, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)।

यह कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कुलदीप कौर पुत्री श्री बचन सिंह एवं पता नागपुर था। विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती गुरविन्दर कौर बिमराह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह हो गया है।

अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे सही नाम श्रीमती गुरविन्दर कौर बिमराह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(कुलदीप कौर)
पुत्री – श्री बचन सिंह

(G-1652)

नया नाम
(गुरविन्दर कौर बिमराह)
पत्नी – श्री सुरेन्द्र सिंह।

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अमन कुशवा (Aman Kushwa) था, जो कि अब आज दिनांक से बदलकर अमन कुशवाह (Aman Kushwah) हो गया है।

अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे सही नाम अमन कुशवाह (Aman Kushwah) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(अमन कुशवा)
(Aman Kushwa)
पिता – अशोक कुशवाह。

(G-1653)

नया नाम
(अमन कुशवाह)
(Aman Kushwah)
पिता – अशोक कुशवाह।

नाम परिवर्तन

मैं, स्वामी अनन्त आत्मज (गुरु) श्री पूज्य श्री महावतार बाबा जी, निवासी – म.नं. 5/5, कन्हैया लाल, मनाना मार्ग, राम द्वारा, उज्जैन (म.प्र.)

मेरा पूर्व नाम मनीष चतुर्वेदी (Manish Chaturvedi) एवं पिता का नाम द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी था, जो कि मेरे पूर्व के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. यह कि वर्तमान में मेरा नाम स्वामी अनन्त (Swami Anant) एवं गुरु पिता का नाम पूज्य श्री महावतार बाबा जी (Pujya Shree Shree Mahavtar Baba ji) करवाना चाहता हूँ जो कि सत्य व सही है. अतः, भविष्य में मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम स्वामी अनन्त (Swami Anant) एवं गुरु पिता का नाम पूज्य श्री महावतार बाबा जी (Pujya Shree Shree Mahavtar Baba ji) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम
(मनीष चतुर्वेदी)
(Manish Chaturvedi)
पिता – द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी
(G-1654)

नया नाम
(स्वामी अनन्त) (Swami Anant)
गुरु पिता – पूज्य श्री महावतार बाबा जी
(Pujya Shree Shree Mahavtar Baba ji)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुमित पिता जितेन्द्र परमार था, जो कि बदलकर विशाल पिता जितेन्द्र परमार हो गया है. अतः, भविष्य में मुझे अब इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(सुमित परमार)
(G-1655)

नया नाम
(विशाल परमार)
ग्राम—औरंगपुरा, तह. देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद जावेद Syed Javed पिता आले रसूल जाफरी, निवासी – मकान नं. 20, बाग मुशी हुसैन खाँ, नूर महल रोड, भोपाल (म.प्र.).

यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम सय्यद मो. जावेद कोसर पिता सैयद आले रसूल दर्ज है जो कि सही नहीं है.

अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे सही नाम सैयद जावेद Syed Javed पिता आले रसूल जाफरी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सय्यद मो. जावेद कोसर)
(G-1656)

नया नाम
(सैयद जावेद)
(Syed Javed).

नाम परिवर्तन

मैं, सुधीर पुत्र श्री गोरी लाल, निवासी – ग्राम छोटा बैरसिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मयंक (Mayank) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में जैसे जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज में भी उसका नाम मोन्टी यादव (Monti Yadav) पिता सुधीर दर्ज है जो कि सही है.

अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोन्टी यादव (Monti Yadav) पिता सुधीर के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मयंक)	(मोन्टी यादव)
(Mayank)	(Monti Yadav)
(G-1657)	पिता—सुधीर.

नाम परिवर्तन

मैं, माँगीलाल वर्मा पिता का नाम नगा जी वर्मा, निवासी—ग्राम बड़लावदा, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़, (म.प्र.) मेरे पुत्र हरिओम वर्मा का वास्तविक व सही नाम हरिओम वर्मा है, जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र तथा उसके स्कूल रिकार्ड में भी अंकित है, लेकिन मेरे पुत्र हरिओम वर्मा के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका गलत नाम रोहित वर्मा अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत सही नाम हरिओम वर्मा के नाम से जाना जावे.

आवेदक	(माँगीलाल वर्मा).
(G-1658)	

नाम परिवर्तन

मैं, शेख जफर कुरैशी पिता गुलाम मोइनुद्दिन कुरैशी, सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शेख जफर कुरैशी दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शेख जफर कुरैशी से परिवर्तित हो कर भविष्य में मुझे चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शेख जफर कुरैशी)	(चैतन्य सिंह राजपूत)
(G-1659)	निवासी—मकान नं. 3, यश नगर, फेस-4, मंदसौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कसीर खान (Kaseer Khan) आत्मज श्री गुलाब अहमद, निवासी – म.नं. 64, शांति नगर, नरेला शंकरी, आनंद नगर, भोपाल, (म.प्र.).

यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम केसर अहमद (Kesar Ahmed) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कसीर खान (Kaseer Khan) दर्ज है जो कि सही है.

अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे सही नाम कसीर खान (Kaseer Khan) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(केसर अहमद)	(कसीर खान)
(Kesar Ahmed)	(Kaseer Khan).
(G-1660)	

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Champa Choudhary alias Sadhana Choudhary alias Subha Choudhary D/o. Shri Phool Chand Singhai and W/o. Shri A K Choudhary, resident of 115, Krishi Vihar Colony, Mhow (M.P.), District - Indore, have changed my name and shall be known as Smt Subha Choudhary.

Old Name	New Name
(Champa Jain, Champa Devi, Sadhana Choudhary)	(SUBHA CHOUDHARY).
(G-1661)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेहुल उबनारे (Mehul Ubnare), मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मेहुल उबनारे (Mehul Ubnare) दर्ज है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलती से मेरा नाम बिटू उबनारे (Bittu Ubnare) अंकित हो गया है जो कि असत्य है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय आदि दस्तावेजों में मेरा नाम मेहुल उबनारे (Mehul Ubnare) के नाम से जाना—पहचाना व दर्ज किया जाये।

पुराना नाम (बिटू उबनारे) (Bittu Ubnare)	नया नाम (मेहुल उबनारे) (Mehul Ubnare) पिता—श्री तुलसीराम उबनारे, निवासी—मकान नं.—232, वार्ड नं.—31, गणेश चौक, शोभापुर कॉलोनी, शोभापुर, बैतूल (म.प्र.). (G-1662)
---	---

नाम परिवर्तन

मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा पूर्व नाम प्रीति शर्मा भूलवश अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम यशोधरा शर्मा पत्नी श्री गंगा प्रसाद शर्मा है, जो मेरे आधार कार्ड व वोटर कार्ड में दर्ज है। प्रीति शर्मा एवं यशोधरा शर्मा दोनों ही नाम मेरे हैं, भविष्य में मुझे यशोधरा शर्मा के नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम (प्रीति शर्मा)	नया नाम (यशोधरा शर्मा) पत्नी—गंगाप्रसाद शर्मा निवासी—मकान नम्बर क्यू 148, 7 अमलतास कॉलोनी, फेस-2, शताब्दीपुरम, ग्वालियर (म.प्र.). (G-1663)
------------------------------	---

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी, 47—गायत्री विहार, ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. नं. 02-42-01-00164-14 सन् 2014-15, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को पंजीकृत हुई है। भागीदार फर्म में संशोधन कर श्री बृह्म सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री नबाब सिंह तोमर, नि. ग्राम व पोस्ट — सर्वा, तह. गोहद, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) एवं श्री हरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री नबाब सिंह तोमर, नि. ग्राम व पोस्ट — सर्वा, तह. गोहद, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) 01-04-2022 को अपनी स्वेच्छा से साझेदारी फर्म से पृथक हो गये हैं एवं नए भागीदार के रूप में श्रीमती रशिम सिंह जादौन पत्नी श्री महाबीर पाल जादौन निवासी-75, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) दिनांक 01-4-2022 को फर्म में सम्मिलित हुई है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार हैं।

मेसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी
शुभेन्द्र सिंह
(पार्टनर)

(G-1664)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फ्रेंड्स रियल होम (M/s FRIENDS REAL HOME) कार्यालय, (A-72) समाधिया कॉलोनी, तारागंज लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 474001 जो दिनांक 23 फरवरी 2019 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0010-19 वर्ष 2019-2020, दिनांक 8 अप्रैल 2019 है, जिसका संशोधित विलेख दिनांक 19 अप्रैल 2024 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है की प्रतीक खंडेलवाल पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से पृथक रहे हैं।

फॉर : मेसर्स फ्रेंड्स रियल होम
(M/s FRIENDS REAL HOME)
दुर्गा अग्रवाल
(पार्टनर)

(G-1665)

पता :- A-72, समाधिया कॉलोनी तारागंज लश्कर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, MANJU KHURANA have changed my name to MANJU DEVI KHURANA W/o ASHOK KUMAR KHURANA and now I would be known as MANJU DEVI KHURANA W/o ASHOK DEVI KHURANA.

Old Name	New Name
(MANJU KHURANA)	(MANJU DEVI KHURANA)

(G-1666)

Add.-78, Palsikar Colony, Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, SHAMSER KHAN have changed my name to SAMEER KHAN S/o GULKHAN and now I, would be known as SAMEER KHAN S/o GULKHAN.

Old Name

(SHAMSER KHAN)

(G-1667)

New Name

(SAMEER KHAN)

Add.-278, Sector-A, Green Park Colony,
Khajurwala Road, Dhar Road, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंजली उदासी (Anjali Udasi) पत्नी श्री जय उदासी, पता म.नं. 28, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिंधी धर्मशाला सिवनी, मध्यप्रदेश हम अपनी पुत्री का नाम आंचल चंदानी (Aanchal Chandani) लिखते थे, किंतु, अब हमने अपनी पुत्री का उपनाम परिवर्तित/संशोधित कर आंचल उदासी (Aanchal Udasi) कर लिया है, अब, हमारी पुत्री इसी नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती है. प्रकाशन उपरांत हमारी पुत्री को उसके परिवर्तित नाम आंचल उदासी (Aanchal Udasi) के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए.

आवेदिका

माता — अंजली उदासी

(Anjali Udasi).

(G-1668)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स किरार कन्स्ट्रक्शन कंपनी, रजौधा जो ग्राम रजौधा, पोस्ट हुसैनपुर, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-44-03-00132-13, दिनांक 29 नवंबर 2013 है. जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2024 को भागीदार रामनिवास सिंह धाकड़ पुत्र श्री जसवंत सिंह धाकड़, निवासी—ग्राम पिपरुआ, पोस्ट दीपेहरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं. एवं इसी दिनांक 1-4-2024 को श्रीमती ममता धाकड़ पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह धाकड़, निवासी—ग्राम रजौधा, पोस्ट हुसैनपुर, तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है.

मैसर्स किरार कन्स्ट्रक्शन कंपनी रजौधा

लक्ष्मण सिंह धाकड़

(भागीदार)

पता—ग्राम रजौधा, पोस्ट हुसैनपुर, तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1669)

नाम परिवर्तन

मैं, संध्या शर्मा, पत्नी स्व. श्री मनोहर शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरी पुत्री का नाम राधिका शर्मा (Radhika Sharma) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अकित है, परंतु उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश राधिका रिछारिया (Radhika Richhariya) अकित हो गया है जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को राधिका शर्मा (Radhika Sharma) के नाम से सभी शासकीय /अद्वृशासकीय/शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

नया नाम

(राधिका शर्मा)

(Radhika Sharma)

पुराना नाम
(राधिका रिछारिया)
(Radhika Richhariya)

(G-1670)

पता — 07, सरस्वती शिशु मंदिर के पास, लाल पठार,
स्वरूप नगर, गंजबासोदा मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मैं, किरणदीप कौर (Kirandeep Kaur), सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम किरण पाल (Kiran Pal) था। जो शादी के उपरांत किरणदीप कौर (Kirandeep Kaur) हो गया है। किरण पाल एवं किरणदीप कौर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं याने की मेरे प्रकाशन के उपरांत मुझे किरणदीप कौर (Kirandeep Kaur) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(किरण पाल)	(किरणदीप कौर) (Kirandeep Kaur)
(G-1671)	Add.-110/2, field Hospital, EME Center, Bairagarh, Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, राम कुमार (Ram Kumar) आत्मज श्री रामसहाय (Ramsahay) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम राम कुमार आत्मज श्री रामसहाय है जो मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है। किंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से हेमंत कुमार चौधरी आत्मज श्री नबलु किशोर चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में राम कुमार आत्मज श्री रामसहाय के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(हेमंत कुमार चौधरी)	(राम कुमार) (Ram Kumar)
(आत्मज श्री नबलु किशोर चौधरी)	आत्मज श्री रामसहाय पता—74, साईराम कॉलोनी, चांदबाड़, सेमरा कला, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शक्ति कौशल (SHAKTI KHUSHAL) पत्नी विकास जायसवाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम वर्षा जायसवाल (VARSHA JAISWAL) था जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, शक्ति कौशल पत्नी विकास जायसवाल के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। वर्षा जायसवाल एवं शक्ति कौशल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम वर्षा जायसवाल के स्थान पर मेरा नाम शक्ति कौशल लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(वर्षा जायसवाल)	(शक्ति कौशल) पत्नी विकास जायसवाल पता :— ईई—319, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अभिनव उपाध्याय (ABHINAV UPADHYAY) पुत्र श्री प्रदीप उपाध्याय सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम अमर उपाध्याय (AMAR UPADHYAY) था, जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, अभिनव उपाध्याय पुत्र श्री प्रदीप उपाध्याय के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अमर उपाध्याय एवं अभिनव उपाध्याय दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम अमर उपाध्याय के स्थान पर मेरा नाम अभिनव उपाध्याय लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (अमर उपाध्याय)	नया नाम (अभिनव उपाध्याय) पुत्र श्री प्रदीप उपाध्याय पता :— म.नं. २९, वार्ड नं. ०५, पंडित पुत्तुराम वाली गली, सज्जी मंडी रोड, पोरसा मुरैना (म.प्र.).
(G-1674)	

नाम परिवर्तन

मैं, लालजीत सिंह (LALJEET SINGH) पुत्र रामलखन सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम हरेन्द्र सिंह गुर्जर (HARENDRAY SINGH GURJAR) था। जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, लालजीत सिंह पुत्र रामलखन सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। लालजीत सिंह एवं हरेन्द्र सिंह गुर्जर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर मेरा नाम लालजीत सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (हरेन्द्र सिंह गुर्जर)	नया नाम (लालजीत सिंह) पुत्र रामलखन सिंह पता— वार्ड १०, ग्राम मडरोली, घामोरी, तह.गोहद, जिला—भिण्ड (म.प्र.).
(G-1675)	

नाम परिवर्तन

मैं, कपिल कुमार (Kapil Kumar) आत्मज कैलाश नारायण, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम मीनाक्षी परमार (Minakshi Parmar) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है, परंतु उसके आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटि से मीनाक्षी (Minakshi) अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को मीनाक्षी परमार (Minakshi Parmar) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम (मीनाक्षी) (Minakshi)	नया नाम (मीनाक्षी परमार) (Minakshi Parmar) पुत्री कपिल कुमार पता— ग्राम करोंदी, पोस्ट आसारेटा सारंगपुर, राजगढ़ (म.प्र.).
(G-1676)	

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता (SUNITA) पत्नी नाथू सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सुनिया (SUNIYA) था, जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, सुनीता पत्नी नाथू सिंह के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। सुनिया एवं सुनीता दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम सुनिया के स्थान पर मेरा नाम सुनीता लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(सुनिया)

(G-1677)

नया नाम

(सुनीता)

पत्नी नाथू सिंह

पता— बरवाई मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश्वरी देवी (RAJESWARI DEVI) पत्नी लक्ष्मीनारायण, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रामकली (RAMKALI) था, जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राजेश्वरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। रामकली एवं राजेश्वरी देवी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामकली के स्थान पर मेरा नाम राजेश्वरी देवी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(रामकली)

(G-1678)

नया नाम

(राजेश्वरी देवी)

पत्नी लक्ष्मीनारायण

पता— पुराना धनश्यामपुरा, वार्ड नं. 1,
तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, टीटुभाई तोमर (TITUBHAI TOMAR) पुत्र भगवानसिंह तोमर, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम धर्मेन्द्र सिंह तोमर (DHARMENDRA SINGH TOMAR) पुत्र भोलाराम सिंह तोमर था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, टीटुभाई तोमर पुत्र भगवानसिंह तोमर के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। धर्मेन्द्र सिंह तोमर एवं टीटुभाई तोमर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम धर्मेन्द्र सिंह तोमर पुत्र भोलाराम सिंह तोमर के स्थान पर मेरा नाम टीटुभाई तोमर पुत्र भगवानसिंह तोमर लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(धर्मेन्द्र सिंह तोमर)
पुत्र भोलाराम सिंह तोमर

(G-1679)

नया नाम

(टीटुभाई तोमर)
पुत्र भगवानसिंह तोमर
पता— म.नं. 131, बरवाई, तहसील
पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, नेहा राजक पुत्री रणजीत, निवासी—आपागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मैं, अपना नाम नेहा नारायण बदल चुकी हूँ प्रकाशन उपरांत इसी नाम से लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(नेहा राजक)

(G-1680)

नया नाम

(नेहा नारायण)
निवासी—आपागंज, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम सिंह राजपूत पुत्र श्री दर्शन सिंह राजपूत, निवासी—म.नं. C-609, द ब्लेयर अब्बास नगर रोड, आशाराम बापू चौराहा, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम शब्द सिंह राजपूत था जो कि अब तेजस प्रताप सिंह राजपूत हो गया है जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरे पुत्र को सही नाम तेजस प्रताप सिंह राजपूत के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदक

(G-1681)

(विक्रम सिंह राजपूत)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोहर सिंह सोलंकी पुत्र स्व. श्री गजराज सिंह सोलंकी, निवासी—मकान नं. ई 6/157, अरेरा कालोनी, संस्कृति बुटिक के पास, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरे शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बलबीर सिंह का उल्लेख है जो कि मेरा पूर्व का बोलता हुआ नाम था किन्तु शैक्षणिक दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, में मेरा नाम मोहर सिंह सोलंकी ही दर्ज है। बलबीर सिंह और मोहर सिंह सोलंकी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मुझे मोहर सिंह सोलंकी के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(बलबीर सिंह)

(G-1682)

नया नाम

(मोहर सिंह सोलंकी)

पुत्र—स्व. श्री गजराज सिंह सोलंकी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सत्यभामा सोलंकी पत्नी श्री मोहर सिंह सोलंकी, पुत्री स्व. श्री प्रीतम सिंह माहाजन, निवासी—मकान नं. ई 6/157, अरेरा कालोनी, संस्कृति बुटिक के पास, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरे शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मेथा उर्फ मिथलेश्वरी का उल्लेख है जो मेरी शादी से पहले का पूर्व का नाम था किन्तु शादी के उपरान्त मेरा नाम सत्यभामा सोलंकी हो गया है। जो दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, में दर्ज है। मिथलेश्वरी उर्फ मेथा और सत्यभामा सोलंकी एक ही महिला के नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मुझे सत्यभामा सोलंकी के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(मिथलेश्वरी उर्फ मेथा)

पुत्री—श्री प्रीतम सिंह महाजन

(G-1683)

नया नाम

(सत्यभामा सोलंकी)

पत्नी—श्री मोहर सिंह सोलंकी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकांक्षा शर्मा पत्नी श्री ऋषभ शर्मा, पुत्री श्री विजय तिवारी निवासी—मकान नं. 249, बूडी बरलाई, बरलाई जागीर, इन्दौर, मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम तनुजा तिवारी उल्लेख है जो कि मेरी शादी से पहले का नाम था किन्तु शादी के उपरान्त मेरा नाम आकांक्षा शर्मा हो गया है। जो अन्य दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम आकांक्षा तिवारी पुत्री श्री विजय तिवारी ही दर्ज है। तनुजा तिवारी, आकांक्षा तिवारी और आकांक्षा शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मुझे आकांक्षा शर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(तनुजा तिवारी)

पुत्री—श्री विजय तिवारी

(G-1684)

नया नाम

(आकांक्षा शर्मा)

पत्नी—श्री ऋषभ शर्मा।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम SUNEETA YADAV है यही नाम मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, आदि दस्तावेजों में दर्ज है। जबकि पॉलिसी में मेरा पूर्व नाम ANITA YADAV दर्ज हो गया है। उक्त दोनों नाम मुझे एक ही महिला के हैं। भविष्य में समस्त प्रयोजन हेतु मुझे ANITA YADAV के स्थान पर SUNEETA YADAV के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा, जावे व मेरी पॉलिसी व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम SUNEETA YADAV दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(ANITA YADAV)

(G-1685)

नया नाम

(SUNEETA YADAV)

पत्नी—श्री ध्रुव सिंह यादव

पता—24 लाईन, 14 बटालियन क्यूनं. 22,
कम्पू लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रहलाद दांगी आत्मज श्री श्यामलाल दांगी, निवासी—ग्राम चांदबड़, तहसील—नरसिंहगढ़, जिला—राजगढ़ (म.प्र.) मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नीलाक्षी दांगी (NEELAKSHI DANGI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश सीमा दांगी हो गया है, अब मेरी पुत्री अपने वास्तविक व नये नाम नीलाक्षी दांगी (NEELAKSHI DANGI) के नाम से जानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा।

आवेदक

(G-1686)

(प्रहलाद दांगी).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम JAYA BANWARI D/o MANOHAR LAL BANWARI था जो कि मेरे पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है। मेरी शादी ASHISH CHANCHALANI से होने के बाद ससुराल में मेरा नाम बदलकर HEER CHANCHALANI रखा गया है। यही नाम मेरे आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है। JAYA BANWARI और HEER CHANCHALANI मुझे एक ही महिला के नाम हैं। भविष्य में मुझे JAYA BANWARI के स्थान पर HEER CHANCHALANI के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(JAYA BANWARI)
D/o MANOHAR LAL BANWARI

(G-1687)

नया नाम

(HEER CHANCHALANI)
W/o ASHISH CHANCHALANI
पता— मकान नं. 1, कृष्ण इन्कलेव, समाधिया कॉलोनी,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, SHIV KUMARI पत्नी HARSH VARDHAN SIROTHIYA का वास्तविक नाम SHIV KUMARI है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे पुत्र PULKIT SIROTHIYA के शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों में मेरा घरू नाम PREETI SIROTHIYA दर्ज है, SHIV KUMARI और PREETI SIROTHIYA मुझ एक ही महिला के नाम हैं। भविष्य में मेरे पुत्र PULKIT SIROTHIYA के समस्त दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम SHIV KUMARI पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(PREETI SIROTHIYA)

(G-1688)

नया नाम

(SHIV KUMARI)

पत्नी—Harsh Vardhan Sirothiya

R/o, A-254, Tansen Nagar, Gwalior.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम ज़ियाउलहसन चांदुरवाला (ZIAULHASAN CHANDURWALA) पिता अबदेअली चांदुरवाला है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है। किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम इलाउलहसन चांदुरवाला (ILA UL HASAN CHANDURWALA) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में इलाउलहसन चांदुरवाला के स्थान पर मेरा सही नाम ज़ियाउलहसन चांदुरवाला (ZIAULHASAN CHANDURWALA) पिता अबदेअली चांदुरवाला लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

(इलाउलहसन चांदुरवाला)

(ILA UL HASAN CHANDURWALA)

(G-1689)

नया नाम

(ज़ियाउलहसन चांदुरवाला)

(ZIAULHASAN CHANDURWALA)

पिता — अबदेअली चांदुरवाला

पता — 60, सैफी नगर, खातीवाला टैक,

इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम राजेश कुमार गर्ग (RAJESH KUMAR GARG) पिता श्री कैलाश चंद्र गर्ग है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है। किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम राजेश कुमार (RAJESH KUMAR) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेश कुमार गर्ग (RAJESH KUMAR GARG) पिता श्री कैलाश चंद्र गर्ग के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

(राजेश कुमार)

(RAJESH KUMAR)

(G-1690)

नया नाम

(राजेश कुमार गर्ग)

(RAJESH KUMAR GARG)

पिता — श्री कैलाश चंद्र गर्ग

पता — 1077, फीनिक्स टाउनशिप,

इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम गुणवंती द्रविड़ (GUNWANTI DRAVID) पति श्री राजेश द्रविड़ है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम गुणी द्रविड़ (GUNI DRAVID) दर्ज हो गया था, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुणवंती द्रविड़ (GUNWANTI DRAVID) पति श्री राजेश द्रविड़ के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(गुणी द्रविड़)	(गुणवंती द्रविड़)
(GUNI DRAVID)	(GUNWANTI DRAVID)
(G-1691)	पिता – श्री राजेश द्रविड़ पता – 32/1, एल.आइ.जी. कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम सोभाग सिंह सिसोदिया (SOBHAG SINGH SISODIYA) पिता श्री बरजोर सिंह सिसोदिया है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरा पूर्व नाम दरबार है, इस कारण मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर मेरा बोलता नाम सोभाग सिंह दरबार(SOBHAG SINGH DARBAR) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोभाग सिंह सिसोदिया (SOBHAG SINGH SISODIYA) तिपा श्री बरजोर सिंह सिसोदिया के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(सोभाग सिंह दरबार)	(सोभाग सिंह सिसोदिया)
(SOBHAG SINGH DARBAR)	(SOBHAG SINGH SISODIYA)
(G-1692)	पिता – श्री बरजोर सिंह सिसोदिया पता – 126, पंचमूर्ति नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेता दुग्गल (SHVETA DUGGAL) पत्नी SMEET DUGGAL आयु-वयरक्त, निवासी-एस्टर प्लैटिनम फ्लेट नं. 302, आकृति इकोसिटी, बावड़िया कला, भोपाल (म.प्र.) विवाह पूर्व में मेरा नाम श्वेता मलिक (SHVETA MALIK) एवं श्रुति मलिक पुत्री श्री रमेश मलिक था. विवाह पश्चात् का नाम श्वेता दुग्गल (SHVETA DUGGAL) पत्नी SMEET DUGGAL हो गया है. जहां कहीं भी मेरा नाम श्वेता मलिक (SHVETA MALIK) एवं श्रुति मलिक पुत्री रमेश मलिक दर्ज है, उसके स्थान पर मेरा नाम श्वेता दुग्गल (SHVETA DUGGAL) पत्नी SMEET DUGGAL पढ़ा-लिखा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(श्वेता मलिक) (SHVETA MALIK)	(श्वेता दुग्गल)
एवं श्रुति मलिक पुत्री रमेश मलिक	(SHVETA DUGGAL).

(G-1693)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम चयन जैन (CHAYAN JAIN) है. जो कि सही व सत्य है. आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. कुछ दस्तावेजों में चयन दिवाकर जैन (CHAYAN DIWAKAR JAIN) दर्ज है. उसके स्थान पर चयन जैन (CHAYAN JAIN) दर्ज किया जावे. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में उसके सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में चयन जैन, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बबीता जैन)

पत्नी—श्री समीर जैन,

निवासी — ई-4/134, अरेरा कॉलोनी,

भोपाल (म.प्र.).

(G-1694)

PUBLIC NOTICE

(U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firm "M/s SIGNATURE COLONISERS" of Bhopal vide Registration No. 01-01-01-0469-18 year 2018-2019 on date 26-3-2018 undergone through the following changes :-

That the partners here Shri Ashlee Khilwani S/o Shri Rajkumar Khilwani, Shri Laxmi Narayan Sharma S/o Late. Ganga Swarup Sharma, Shri Vishal Idnani S/o Late. Shri Nand Kishore Idnani, Smt. Fouzia Yusuf W/o Late. S.M. Yusuf, Mohd. Omer Siddiqui S/o Late. Mohd. Juber Siddiqui, Mohd. Anas Siddiqui S/o Late. Mohd. Zubair Siddiqui, Mohd. Sohail Siddiqui S/o Late. Mohd. Juber Siddiqui and Smt. Nasreen Siddiqui W/o Mohd. Sohail Siddiqui are admitted as new incoming partners to the said partnership firm and all the existing partners are agreed on the changes done in the constitution of the firm w.e.f. 27-08-2023.

"M/s SIGNATURE COLONISERS"

MANISH KUMAR IDNANI

(Partner)

18-19, Kolar Castle, Chunnabhatti, Kolar Road, Bhopal.

(G-1695)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म AVADHI REAL ESTATE BUILDERS AND DEVELOPERS ADD : 64, Mig, Old MLA Colony, Jawahar Chowk, Bhadbhada Road, Bhopal, पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0239-21, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को पंजीयन हुआ है. जिसका संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 15 जून 2024 को निष्पादित किया गया है. जिसमें भागीदारगण (1) अभिषेक शर्मा आत्मज श्री संजीव शर्मा (2) रुद्रांश शर्मा आत्मज श्री सुधीर शर्मा (3) ध्रुव शर्मा आत्मज श्री सुनील शर्मा, भागीदार विलेख अनुसार शामिल हो रहे हैं एवं भागीदारगण (4) विजित राज पाटनी आत्मज श्री विजय कुमार पाटनी (5) निशंक जैन आत्मज श्री सरदारमल जैन दोनों भागीदार अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

M/s Avadhi Real Estate, Builders and Developers

अभिषेक शर्मा

(Partner).

(G-1696)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई 2024

प्रारूप — 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.0003-24-25-बी-113(1).— लाखन सिंह राजपूत पुत्र श्री मायाराम, निवासी – क्वार्टर नम्बर 140, लाईन नं. 3, जेसी मिल, विरलानगर, ग्वालियर (म.प्र.), मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक को विचार के लिए दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें जिसका कि वह गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 5 अगस्त 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ,

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपरिथित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता : | “सिद्ध श्री तलवार वाले हनुमान सेवा न्यास” जलालपुर चौराहा, मुरैना रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश. |
|------------------------------|---|

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 2. चल-अचल संपत्ति : | 11,000/- रुपये |
|---------------------|----------------|

(G-1697)

प्रारूप — 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.0002-24-25-बी-113(1).— प्रीतम लोधी पुत्र श्री हीरालाल लोधी, आयु 65 वर्ष, निवासी—जलालपुर मोतीझील, ग्वालियर (म.प्र.). मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा—4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक को विचार के लिए दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोंक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 5 अगस्त 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : शीतला माता मंदिर सेवा न्यास, मऊ तहसील, मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :

2. चल-अचल संपत्ति : 11,000/- रुपये

(G-1698)

अतुल सिंह, पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग हातोद, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

हातोद, दिनांक 25 जुलाई 2024

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) देखिए]

क्र.-513—रीडर—पं.लो.न्यास.—2024.—लोक न्यास हातोद के इस न्यायालय में आवेदक—श्री मदन अग्रवाल, पिता स्व. बद्रीलाल अग्रवाल निवासी — बंगाली चौराहा, इन्दौर, तर्फ ट्रस्ट न्यासी/विलेखी—श्री अग्रसेन तीर्थधाम, इन्दौर, प.ह.नं. 48, सर्वे नं. 281/1, गरोठ जैविक फार्म (विद्यादेवी मदनलाल), ग्राम पूवार्डा जुनार्दा, पोस्ट पालिया, तहसील हातोद, जिला इंदौर (म.प्र.), 453111 द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया जाकर, ग्राम पूवार्डा जुनार्दा में श्री अग्रसेन तीर्थधाम, इन्दौर, प.ह.नं. 48, सर्वे नं. 281/1, गरोठ जैविक फार्म (विद्यादेवी मदनलाल), ग्राम पूवार्डा जुनार्दा, पोस्ट पालिया, तहसील हातोद, जिला इंदौर (म.प्र.)—453111 के ट्रस्ट पंजीयन की स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया।

एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन अंतर्गत 15 दिवस उपरांत मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः, मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यास, पंजीयक, हातोद अपने न्यायालय में उक्त दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

उपरोक्त संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(G-1699)

अजय भूषण शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी।

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 12 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—767.—बिलहरा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 10 अक्टूबर 1990 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2005—954, दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिलहरा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 10 अक्टूबर 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1700)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—768.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चितौरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 11 दिसम्बर 1989 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2005—954 दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चितौरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 11 दिसम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1701)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—769.—राजीव गांधी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. बरियाघाट, वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 24 मार्च 2003 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2011—2799 दिनांक 12 सितम्बर 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। कु. दीप्ति गुजराया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजीव गांधी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. बरियाघाट, वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 24 मार्च 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉर्डी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1702)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—770.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, बदौना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 27 जून 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2013—719 दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। कु. दीप्ति गुजराया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, बदौना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 27 जून 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉर्डी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12. जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1703)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—771.— माँ शारदा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापक—2024—152, दिनांक 09 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मौं शारदा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1704)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-772.— महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 17 अप्रैल 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन-2024-156, दिनांक 09 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री रामजी खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 17 अप्रैल 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1705)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-773.— मछली पालन सहकारी समिति मर्या., बजरेडा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 02 दिसम्बर 2014 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन-2024-145, दिनांक 09 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री रामजी खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मछली पालन सहकारी समिति मर्या., बजरेडा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 02 दिसम्बर 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1706)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—774.— बिहारी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मंजला, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 20 सितम्बर 2016 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2024—150 दिनांक 9 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, परशाराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहारी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मंजला, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 20 सितम्बर 2016 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉर्डी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1707)

सागर, दिनांक 18,19 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—781.— प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमकुआ, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 666 दिनांक 13 फरवरी 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को समिति के अकार्यशील होने एवं निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत न के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना—पत्र क्रमांक—परिसमापन—2024—129 सागर दिनांक 09 फरवरी 2024 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना—पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना—पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः, मैं, परशाराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5—1—99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमकुआ, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 13 फरवरी 1997 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1708)

सागर, दिनांक 18 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-782.— प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 667 दिनांक 13 फरवरी 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को समिति के अकार्यशील होने एवं निर्वाचन प्रस्तुत न के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक-परिसमापन-2024-130 सागर दिनांक 9 फरवरी 2024 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 13 फरवरी 1997 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1709)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार।

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024—श्रावण 18, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)